श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 को अपराहन 2.30 बजे नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सेज अनुमोदन बोर्ड की आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न हैं **(अनुलग्नक I)**।

अध्यक्ष महोदय ने सेज अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक में प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होने सदस्यों को यह सूचित किया कि राजस्व विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य-वार अनुमोदन बोर्ड की बैठकें आयोजित किए जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने आगे यह सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि अनुमोदन बोर्ड सचिवालय सर्वप्रथम आवेदनों की जांच करेगा तथा केवल उन आवेदनों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो न्यूनतम क्षेत्र, रिक्ति, संदर्भ आदि से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों को पूरा करते हों।

उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि अनुमोदन बोर्ड की उपयोग के लिए एक नई जांच सूची तैयार की गई है और इसमें राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं या अथवा नहीं, इससे संबंधित एक कॉलम शामिल है। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे समय पर अपनी सिफारिशें भेजें ताकि कम से कम 30 दिन पहले अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए नोटिस के साथ जारी किए जाने वाले एजेंडे में राज्यों को सूचीबद्ध किया जा सके।

अध्यक्ष मोहदय ने आगे सदस्यों को यह सूचित किया कि केन्द्र सरकार ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 को सेज अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्राधिकृत संचालनों से संबंधित अधिसूचना जारी की थी तथा अब बोर्ड प्राधिकृत संचालनों के लिए डेवलपर से सभी लंबित अनुरोधों पर विचार कर सकता है। उन्होंने यह सूचित किया कि बहु-उत्पाद एसईजेड में प्राधिकृत संचालन के रूप में "गोल्फ कोर्स" से संबंधित कार्यों को बंद कर दिया है क्योंकि राजस्व विभाग ने उस पर आपत्ति जाहिर की थी। बैठक के दौरान अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों के सूचनार्थ अधिसूचना की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई थी।

तदनंतर एजेंडा मदों पर विचार किया गया और बोर्ड ने निम्नलिखित सिफारिशें की :

नए सेज की मंजूरी के प्रस्ताव:

क. औपचारिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें

1. एक्वलीन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 27.85 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजे कोबा, तालुका गांधीनगर, जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 8):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **एक्वलीन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 27.85 हेक्टेयर क्षेत्र में मौजे कोबा,**

तालुका गांधीनगर, जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

2. कालिका कंस्ट्रक्शंस और इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में गाँव खोरज, जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया **(क्र.सं. 9):**

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि गुजरात राज्य एसईजेड प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर विचार किया है और बैठक में अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है लेकिन भारत सरकार को औपचारिक सूचना अभी तक प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार, बोर्ड ने **कालिका कंस्ट्रक्शंस और इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 16 हेक्टेयर के क्षेत्र में गाँव खोरज, जिला गांधीनगर, गुजरात में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक स्वीकृति** देने का फैसला किया जो इस संबंध में गुजरात सरकार को औपचारिक सूचना प्राप्त होने की स्वीकृति के अध्यधीन है।

3. मुगधा (थलतेज) कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 54.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम छारोडी और त्रैगड़, तालुका डस्करोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 10):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर के पास 10.38 हेक्टेयर भूमि का कब्जा था जो आईटी/आईटीईएस क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि से अधिक है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मुगधा (थलतेज) कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.38 हेक्टेयर (25.7 एकड़) के क्षेत्र में ग्राम छारोडी और त्रैगड़, तालुका डस्करोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

4. कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कांडला, गुजरात में 640 हेक्टेयर के क्षेत्र में पोर्ट आधारित बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना (क्र. सं. 16):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि यह प्रस्ताव एक केंद्र सरकार के संगठन कांडला पोर्ट ट्रस्ट का है, जिसका जमीन पर कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कांडला, गुजरात में 640 हेक्टेयर के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के नियम 2 के उप-नियम (जेडसी) में यथा परिभाषित एक बंदरगाह में एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

5. अडानी पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 293-88-10 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात में एसईजेड, ईओयू तथा गुजरात के बाहर स्थित एसईजेड ईओयू तथा ग्राम टुंडा और सिरचा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित अन्य एसईजेड ईओयू को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए विद्युत क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 18):

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **अडानी पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 293-88-10 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात में एसईजेड, ईओयू तथा गुजरात के बाहर स्थित एसईजेड ईओयू तथा ग्राम टुंडा और सिरचा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित अन्य एसईजेड ईओयू को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए विद्युत क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** प्रदान करने का निर्णय लिया।

बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि डीटीए में स्थापित बिजली संयंत्रों के लिए पावर एसईजेड और उसके निहितार्थ के मुद्दे को विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाए और उनकी विशिष्ट टिप्पणी/सिफारिशें प्राप्त की जाएं।

6. ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 17.41 हेक्टेयर के क्षेत्र में मेडीसिटी, सेक्टर 38, गुड़गांव, हरियाणा में आरएंडडी, हेल्थकेयर सहित मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल आईटीईएस सहित बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 29):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी, लेकिन प्रस्ताव एक से अधिक गतिविधियों के लिए है, जिसे 17.41 हेक्टेयर के प्रस्तावित क्षेत्र में एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि आवेदन केवल संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के साथ जैव-प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की थी, बोर्ड ने **ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 17.41 हेक्टेयर के क्षेत्र में मेडीसिटी, सेक्टर 38, गुड़गांव, हरियाणा में केवल जैव प्रौद्योगिकी** के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

7. सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर प्रा. लि. द्वारा 60 हेक्टेयर के क्षेत्र में झुंड सराय, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी सेज के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 33):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, सदस्य सीमा शुल्क द्वारा यह इंगित किया गया था कि पूरा क्षेत्र एकरूप नहीं है। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि उन्होंने 41.278 हेक्टेयर क्षेत्र की अच्छी तरह से जांच की है और उस क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं है। तदनुसार, बोर्ड ने **सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर प्रा. लि. द्वारा 41.278 हेक्टेयर के क्षेत्र में झुंड सराय, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी सेज** के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया। बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि यदि शेष बचा हुआ क्षेत्र सन्निहित है तो वे अधिसूचना के समय उसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

8. मेट्रो वैली बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में 5वें माइल स्टोन, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, अंसल वैली व्यू अपार्टमेंट के सामने, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित विपक्ष पर 5वीं माइल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 34):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मेट्रो वैली बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में 5वें माइल स्टोन, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, अंसल वैली व्यू अपार्टमेंट के सामने, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित विपक्ष पर 5वीं माइल के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

9. मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा 46.13 हेक्टेयर क्षेत्र में गुड़गांव-सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा (पहले दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर) में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 37):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मेसर्स पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा 46.13 हेक्टेयर क्षेत्र में गुड़गांव-सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा (पहले दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर) में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

10. अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्र में गाँव बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 42):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्र में गाँव बादशाहपुर, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

11. एसेन्डेंट इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15.2 हेक्टेयर के क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.स. 47):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **एसेन्डेंट इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 15.2 हेक्टेयर के क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

12. बेंटेक्स टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 168 हेक्टेयर के क्षेत्र में राजा का गुज्जर, जिला गुड़गांव (गुड़गांव) में बहु-सेवा एसईजेड की स्थापना (क्रम संख्या 52):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **बेंटेक्स टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 168 हेक्टेयर के क्षेत्र में राजा का गुज्जर, जिला गुड़गांव (गुड़गांव) में बहु-सेवा एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

13. इरियो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग III लिमिटेड द्वारा 40 हेक्टेयर के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस के लिए घटा, बेहरामपुर तथा बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 57)

बोर्ड ने नोट किया कि डेवलपर के पास प्रस्तावित 40 हेक्टेयर में से 26.61 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा था। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **इरियो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग III लिमिटेड द्वारा 26.61 हेक्टेयर के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आईटी/आईटीईएस के लिए घटा, बेहरामपुर तथा बलोला, जिला गुड़गांव, हरियाणा में एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

14 ओएसई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्र में प्लॉट नंबर 001, ब्लॉक सी, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 59):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **ओएसई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्र में प्लॉट नंबर 001, ब्लॉक सी, सेक्टर 67, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक स्वीकृति** देने का निर्णय लिया।

15. आईटी इन्फ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10 हेक्टेयर (जिसे मेसर्स पवित्रधाम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन द्वारा संशोधित करके 22.22 हेक्टेयर क्षेत्र किया गया) के क्षेत्र में नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (क्र.सं. 63):

यूपी सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि प्रस्ताव को संशोधित किया गया है और अब मैसर्स पवित्राधाम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड 22.22 हेक्टेयर (55 एकड़) के क्षेत्र में एसईजेड की स्थापना करने का आवेदन किया गया है। बोर्ड ने इसे नोट किया। चूंकि जमीन आवेदक के कब्जे में थी और राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश भी की थी। तदनुसार, बोर्ड ने मैसर्स **पवित्राधाम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट सेज** की स्थापना करने के **लिए औपचारिक अनुमोदन** देने का फैसला किया।

16. सिटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में गहुंजे, तालुका हवेली, जिला पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्र. सं. 4):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड **सिटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 हेक्टेयर के क्षेत्र में गहुंजे, तालुका हवेली, जिला पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस के लिए एक सेक्टर विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

17. ब्रॉडवे इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गांव तथा वडे, तालुका मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्रम संख्या 5):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी और इस संबंध में आवश्यक रिकॉर्ड सत्यापित किए गए थे। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **ब्रॉडवे इंटीग्रेटेड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गांव तथा वडे, तालुका मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

18. मुथा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.27 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राम लोहागाँव, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्रम संख्या 6) :

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी और इस संबंध में आवश्यक रिकॉर्ड सत्यापित किए गए थे। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मुथा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.27 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्राम लोहागाँव, तालुका हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

19. कॉर्नेल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 41 हेक्टेयर के क्षेत्र में खारी विलेज, ठाणे जिले, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्रम संख्या 8)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **कॉर्नेल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 41 हेक्टेयर के क्षेत्र में खारी विलेज, ठाणे जिले, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

20. लोढ़ा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 32 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराष्ट्र के ठाणे में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्रम संख्या 10)

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **लोढ़ा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 32 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराष्ट्र के ठाणे में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

21. प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्र में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्रम संख्या 11):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि जमीन डेवलपर के कब्जे में थी। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 10.57 हेक्टेयर के क्षेत्र में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

22. मंजरी स्टड फार्म द्वारा 15.79 हेक्टेयर क्षेत्र में पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I की मद सं. 3):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि पूर्व में 74 एकड़ के क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मैसर्स शापूरजी पालोनजी को दी गई थी। लेकिन उन्होंने सूचित किया है कि मेसर्स मंजरी स्टड फ़ार्मर्स जो डेवलपर की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, वास्तव में उसका जमीन पर कब्जा है और उसने पहले दिए गए सैद्धांतिक मंजूरी के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। यह आगे कहा गया कि इस बीच कुछ निर्माण हुआ है और उपलब्ध भूमि केवल 15.79 हेक्टेयर है जो कि एक आईटी/आईटीईएस एसईजेड के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि से अधिक है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मंजरी स्टड फार्म द्वारा 15.79 हेक्टेयर क्षेत्र में पुणे, महाराष्ट्र में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

23. के. रहेजा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा इन्फोसिटी I) द्वारा 20.64 हेक्टेयर क्षेत्र में आइटी/आईटीईएस में नवी मुंबई के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I की मद सं. 4):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर को दिनांक 17 मार्च, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा उसने अब भूमि पर कब्जा ले लिया है तथा उसने औपचारिक अनुमोदन में रूपांतरण के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **के. रहेजा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा इन्फोसिटी I) द्वारा 20.64 हेक्टेयर क्षेत्र में आइटी/आईटीईएस में नवी मुंबई के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

24. के. रहेजा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा इन्फोसिटी II) द्वारा 13 हेक्टेयर क्षेत्र में नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा I की मद सं. 5):

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर को दिनांक 17 मार्च, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आईटी/आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा उसने अब भूमि पर कब्जा ले लिया है तथा उसने औपचारिक अनुमोदन में रूपांतरण के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **के. रहेजा यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड (रहेजा इन्फोसिटी II) द्वारा 13 हेक्टेयर क्षेत्र में नवी मुंबई में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

25. मैराथन प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 400 हेक्टेयर के क्षेत्र में रायगढ़, महाराष्ट्र में एक बहु सेवा एसईजेड की स्थापना (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 7):

बोर्ड ने उल्लेख किया कि डेवलपर को दिनांक 8 अगस्त, 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। उन्होंने अब यह सूचित किया है कि उनके पास 400 हेक्टेयर भूमि है और उन्होंने 400 हेक्टेयर के क्षेत्र में बहु-सेवा एसईजेड के लिए उक्त सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **मैराथन प्राची इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 400 हेक्टेयर के क्षेत्र में रायगढ़, महाराष्ट्र में एक बहु सेवा एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **औपचारिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

ख. सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए सिफारिशें

1. जयंत ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड द्वारा ग्राम विलायत, तालुका वागरा, जिला भरूच, गुजरात में रसायन (कृषि आधारित) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 106 हेक्टेयर (क्रम संख्या 2):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **जयंत ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड द्वारा ग्राम विलायत, तालुका वागरा, जिला भरूच, गुजरात में रसायन (कृषि आधारित) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक** मंजूरी देने का निर्णय लिया। बोर्ड ने निर्देश दिया कि औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंगित किया गया क्षेत्र आवेदन के समय खाली था।

2. डिसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम केरल-भायला और चियाडा, तालुका बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 145 हेक्टेयर (क्र.सं. 3):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए **सैद्धांतिक** अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड **डिसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम केरल-**

भायला और चियाडा, तालुका बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक** मंजूरी देने का निर्णय लिया।

3. डिसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम केरल-भायला और चियाडा, तालुका बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फार्मा और फाइन केमिकल्स के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - 139 हेक्टेयर (क्र.सं. 14):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। चूंकि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को केवल एक क्षेत्र के लिए कार्य करना है, जबकि आवेदन दो क्षेत्रों के लिए किया गया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने फार्मास्यूटिकल्स एसईजेड के लिए मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की और तदनुसार बोर्ड ने **डिसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 139 हेक्टेयर का क्षेत्र ग्राम केरल-भायला और चियाडा, तालुका बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में फार्मा और फाइन केमिकल्स के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट** एसईजेड की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

4. जे.बी. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा 130 हेक्टेयर के क्षेत्र में जी.आई.डी.सी., पनोली, गुजरात में फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापना - (क्र.सं. 15):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **जे.बी. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा 130 हेक्टेयर के क्षेत्र में जी.आई.डी.सी., पनोली, गुजरात में फार्मास्यूटिकल्स विनिर्माण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया। बोर्ड ने निर्देश दिया कि औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंगित किया गया क्षेत्र आवेदन के समय खाली था।

5. एस्सार सुवाली सेज लिमिटेड द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में सर्वे नंबर 446/ए मोजे सुवाली, तालुका चोर्यासी, जिला सूरत, गुजरात में विद्युत के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - (क्र.सं. 17):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **एस्सार सुवाली सेज लिमिटेड द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में सर्वे नंबर 446/ए मोजे सुवाली, तालुका चोर्यासी, जिला सूरत, गुजरात में विद्युत के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि डीटीए में स्थापित विद्युत संयंत्रों के लिए विद्युत एसईजेड और उसके निहितार्थ से संबंधित मुद्दे को विद्युत मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाए और उनकी विशिष्ट टिप्पणी/सिफारिशें प्राप्त की जाएं।

6. भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात के भुज, गुजरात में इस्पात उत्पादों के लिए एक विशेष क्षेत्र की स्थापना - (क्र.सं. 20) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरात के भुज, गुजरात में इस्पात उत्पादों के लिए एक विशेष क्षेत्र** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

7. श्रीयायुमजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर के क्षेत्र में तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में परिधान के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - (क्र.सं. 27):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **श्रीयायुमजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 101 हेक्टेयर के क्षेत्र में तहसील फरुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में परिधान के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

8. गुड़गांव कन्वेंशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 240 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम धनवापुर और सराय अलावर्दी, गुड़गांव, हरियाणा में सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - (क्र.सं. 48):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **गुड़गांव कन्वेंशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 240 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम धनवापुर और सराय अलावर्दी, गुड़गांव, हरियाणा में सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

9. सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर प्राइवेट द्वारा 3237.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में अंबाला, हरियाणा में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (क्र.सं. 49):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है तथा संपूर्ण भूमि सीधे रूप से आवेदक द्वारा क्रय की जा रही थी। तदनुसार, बोर्ड ने **सनसिटी हरियाणा एसईजेड डेवलपर प्राइवेट द्वारा 3237.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में अंबाला, हरियाणा में एक बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

10. नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में पानीपत, हरियाणा में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (क्र.सं. 51):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लिमिटेड**

द्वारा 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में पानीपत, हरियाणा में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

11. श्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन प्रा.लिमि. द्वारा 80 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की स्थापना - (क्रम संख्या 58):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार प्रस्ताव के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की अनुशंसा करती है। तदनुसार, बोर्ड अनुदान का फैसला किया है **में सिद्धांत** एक की स्थापना के लिए अनुमोदन **श्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन प्रा.लिमि. द्वारा 80 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा में मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की** स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

12. आलोक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 52.76 हेक्टेयर के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा के पास ग्राम सुरंगी में कपड़ा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III के क्र.सं. 1) :

यह सूचित किया गया कि इस प्रस्ताव को दिनांक 28 सितंबर को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में रोक दिया गया था तथा चूंकि प्रस्तावित भूमि से होकर नदी गुजरती थी। तदनंतर, संघ राज्य प्रशासन तथा डेवलपर ने यह अनुरोध किया है कि नदी के एक तरफ 52.76 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है और उनके पास पहले से ही 32.6 हेक्टेयर भूमि कब्जे में है तथा उन्होंने 52.76 हेक्टेयर के क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट कपड़ा एसईजेड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया है। तदनुसार **आलोक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 52.76 हेक्टेयर के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के सिलवासा के पास ग्राम सुरंगी में कपड़ा के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

13. स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के वाकनाघाट, जिला सोलन में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्र.सं. 2):

यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी लेकिन संवर्धकों के निवल मूल्य की जांच के मद्देनजर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था। चूंकि निवल मूल्य 700 करोड़ से अधिक है, इसलिए बोर्ड ने **स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के वाकनाघाट, जिला सोलन में एक बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

14. अर्बन इन्फ्रासट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1250 हेक्टेयर के क्षेत्र में सावंतवाड़ी तालुका, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र राज्य में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्र.सं. 9):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करती है। तदनुसार, बोर्ड ने **अर्बन इन्फ्रासट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1250 हेक्टेयर के क्षेत्र में सावंतवाड़ी तालुका, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र राज्य में बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

15. सेंचुरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1011.7 हेक्टेयर के क्षेत्र में कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर, एनएच 7, बैंगलोर चिक्काबल्लापुर रोड, कर्नाटक में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा I के अनुलग्नक III की क्र.सं. 15):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, बोर्ड ने **सेंचुरी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1011.7 हेक्टेयर के क्षेत्र में कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर, एनएच 7, बैंगलोर चिक्काबल्लापुर रोड, कर्नाटक में बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

16. सनसिटी राजस्थान सेज डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5018 हेक्टेयर के क्षेत्र में नीमराणा, अलवर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 5):

यह उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी, लेकिन संवर्धक की निवल संपत्ति और प्रस्तावित भूमि की समीपता की जांच करने के लिए निर्णय को स्थगित कर दिया गया था। चूंकि निवल घोषित मूल्य 10000 करोड़ रुपए से अधिक है तथा आवेदक ने राष्ट्रीय राजमार्ग के केवल एक तरफ सेज विकसित करने का विकल्प चुना है, इसलिए बोर्ड ने **सनसिटी राजस्थान सेज डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनएच 8 के एक तरफ 3000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में नीमराणा, अलवर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की** स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

17 एचडीआईएल द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में ठाणे, महाराष्ट्र में बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 6):

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। चूंकि आवेदक ने आईटी/आईटीईएस एसईजेड के स्थान पर बहु सेवा एसईजेड के लिए संशोधित रूप में आवेदन किया था, इसलिए बोर्ड ने **एचडीआईएल द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में ठाणे, महाराष्ट्र में बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

18. ईस्ट एशियाटिक इन्फ्रा द्वारा 1214 हेक्टेयर के क्षेत्र में इंदौर, मध्य प्रदेश में एक बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 11):

यह नोट किया गया था कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी, लेकिन संवर्धक के निवल मूल्य की जांच करने के मद्देनजर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था।

चूंकि वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर निवल मूल्य 340 करोड़ से अधिक पाया गया था, इसलिए बोर्ड ने **ईस्ट एशियाटिक इन्फ्रा द्वारा 1214 हेक्टेयर के क्षेत्र में इंदौर, मध्य प्रदेश में एक बहु उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का फैसला किया।

19. यूनाइटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 12):

यह नोट किया गया था कि राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी, लेकिन संवर्धक के निवल मूल्य की जांच के मद्देनजर निर्णय को स्थगित कर दिया गया था। चूंकि वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर निवल मूल्य 325 करोड़ से अधिक पाया गया था, इसलिए बोर्ड ने इसलिए बोर्ड ने **यूनाइटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहु-उत्पाद एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक** मंजूरी देने का फैसला किया।

20. क्विपो इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम दीन्कोनी, तालुका अलीबाग, रायगढ़ महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना - (अनुपूरक एजेंडा II की मद सं. 13):

यह नोट किया गया कि 28 सितंबर को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निर्णय को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र पूंजीगत वस्तु से संबंधित था जिसका दायरा काफी व्यापक था। तदनंतर, यह सूचित किया गया कि उन्होंने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि वे अवसंरचना के लिए भारी निर्माण उपस्करों में रूचि रखते हैं। तदनुसार, बोर्ड ने **क्विपो इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 180 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम दीन्कोनी, तालुका अलीबाग, रायगढ़ महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** की स्थापना करने के लिए **सैद्धांतिक मंजूरी** देने का निर्णय लिया।

ग. स्थगन से संबंधित निर्णय

यह विचार करते हुए कि शेष प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता अथवा परिकल्पित भूमि का प्रकार, निवल मूल्य पर स्पष्टता की कमी तथा संवर्धकों के अन्य वित्तीय ब्यौरे, प्रस्तावित क्षेत्र आदि के संबंध में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट सिफारिशों के अभाव के कारण स्थगित कर दिए गए थे। स्थगित तथा वापस लिए गए प्रस्तावों की सूची **अनुलग्नक II** में दी गई है।

अन्य एजेंडा मद:

मुख्य एजेंडा (22 सितम्बर 2006 को जारी किया गया):

एजेंडा मद सं 2 से 6: गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड एसईजेड (अब मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड) के संबंध में विविध अनुरोध:

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

यह नोट किया गया कि सदस्य (सीमा शुल्क) ने इन एजेंडा मदों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे और स्पष्टीकरण प्रदान किए जाने तक इन प्रस्तावों पर विचार स्थगित रखने का अनुरोध किया था। तदनुसार बोर्ड ने, मद सं. 2 से 6 पर किए जाने वाले विचार को स्थगित कर दिया।

एजेंडा मद सं. 7: दहेज सेज में अधिकृत गतिविधियों की मंजूरी प्रदान के लिए अनुरोध:

सदस्य सीबीडीटी ने यह जानना चाहा की क्या दहेज सेज को अधिसूचित किया गया है। यह सूचित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के मद्देनजर अधिसूचना के बाद ही अधिकृत संचालन को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। तदनुसार बोर्ड ने, अधिसूचना जारी किए जाने तक मद सं. 7 पर किए जाने वाले विचार को स्थगित कर दिया।

एजेंडा मद सं. 8: कांडला एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्रा.लिमि. (एफटीडब्ल्यूपीएल) का अनुरोध:

यह सूचित किया गया कि मेसर्स एफटीडब्ल्यूपीएल को पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत अकेले एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड एक्ट, 2005 और एसईजेड नियमावली 2006 में यह प्रावधान किया गया है कि बहु-उत्पाद एसईजेड के एक भाग के रूप में भी एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना की जा सकती है तथा तदनुसार मैसर्स एफटीडब्ल्यूपीएल द्वारा कांडला एसईजेड के एक भाग के रूप में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, बोर्ड ने यह नोट किया कि कांडला एसईजेड के विस्तारित क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की प्रक्रिया मे है और बोर्ड ने उस समय तक के लिए प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का निर्णय लिया। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए कांडला एसईजेड में सह डेवलपर के रूप में मैसर्स एफटीडब्ल्यूपीएल के अनुमोदन के लिए इस प्रकार का अनुरोध किया जाना चाहिए तथा उन्हें तदनुसार, उन्हें आवेदन करना चाहिए।

एजेंडा मद सं. 9: जामनगर एसईजेड में सह-डेवलपर के रूप में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध।

बोर्ड ने रिलायंस जामनगर एसईजेड में सह-डेवलपर के रूप में मेसर्स रिलायंस इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके द्वारा किए अनुरोध के अनुसार निम्नलिखित प्राधिकृत संचालनों के लिए अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया:

(i) संचार सुविधाएं;

(ii) सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना/सृजित करना,

(iii) कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं प्रदान करना;

(iv) भंडारण सुविधाएं प्रदान करना

I अनुपूरक एजेंडा (18.10.2006 को जारी):

एजेंडा मद सं. 1: अभिज्ञात क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क/रेलवे लिंक के मद्देनजर रिलायंस जामनगर एसईजेड को बहु-उत्पाद एसईजेड में परिवर्तित करने और संबद्धता संबंधी आवश्यकता में छूट हेतु अनुरोध :

बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि इस विषय पर कानून मंत्रालय की राय प्राप्त हो गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एसईजेड नियमों में कुछ बदलाव आवश्यक हैं क्योंकि वर्तमान नियम अनुमोदन बोर्ड को यह अधिकार प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं कि यदि विभिन्न स्थानों में स्थित दो अलग-अलग पैच को एक एसईजेड के रूप में अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो अनुमोदन बोर्ड आकस्मिकता में कुछ छूट प्रदान कर सकता है। परंतु वह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विभाजित किए गए एक पैच को शक्तियां प्रदान करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। आगे यह सूचित किया गया कि यह मामला इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई हेतु वाणिज्य विभाग के विचाराधीन है तथा तदनुसार बोर्ड ने विधिक मुद्दों के सुलझने तक प्रस्ताव विचार स्थगित करने का निर्णय लिया।

एजेंडा मद सं. 2: मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर से उनके उत्तर को डेवलपर से बदलकर सह-डेवलपर करने के संबंध में अनुरोध :

बोर्ड ने यह नोट किया कि इस अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 10 अक्तूबर, 2006 को आयोजित बैठक में पहले ही विचार किया गया है।

एजेंडा मद सं. 3 से 5: सैद्धांतिक अनुमोदन से औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए अनुरोध:

सैद्धांतिक अनुमोदन से औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए इन अनुरोधों को औपचारिक अनुमोदनों के लिए की गई सिफारिशों में शामिल किया जाता है।

एजेंडा मद सं. 6: मैसर्स हाई-स्किल इनवेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान कए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को मैसर्स हाय-स्किल एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध:

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

बोर्ड ने नोट किया समान प्रवर्तकों द्वारा नई कंपनी में अनुमोदन के हस्तांतरण संबंधी अनुरोध किया गया था जिसमें उन्होंने एयरोस्पेस उद्योग द्वारा निवेश की उम्मीद जाहिर की थी। बोर्ड ने हस्तांतरण के अनुरोध को मंजूरी दे दी।

एजेंडा मद सं. 7: औरंगाबाद स्थित फार्मास्यूटिकल्स एसईजेड के लिए दी गई मंजूरी को मैसर्स वॉकहार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने हस्तांतरित करने के लिए एमआईडीसी का अनुरोध :

बोर्ड ने यह नोट किया कि नए प्रस्तावित डेवलपर्स से निर्धारित प्रपत्र में नए सिरे से आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उसमें औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना करने के लिए मैसर्स एमआईडीसी को दिए गए अनुमोदन को मैसर्स वॉकहार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को हस्तानांतरित करने को मंजूरी दे दी।

एजेंडा मद सं. 8: मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड के सात उत्पाद विशिष्ट प्रस्तावों को वापस लेने तथा बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का विस्तार करने के लिए अनुरोध:

यह सूचित किया गया कि मेसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव, धौलपुर, राजस्थान में सात अलग-अलग एसईजेड के लिए आवेदन किया था, जिन्हें राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण बैठक से स्थगित कर दिया गया था। आवेदक को पहले से ही सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त था जो 15.01.2007 तक वैध था तथा डेवलपर ने अब बोर्ड से 16.01.2007 से एक वर्ष तक के लिए उक्त सैद्धांतिक अनुमोदन का विस्तार करने का अनुरोध किया है तथा साथ ही उसने सात लंबित आवेदनों को भी वापस लेने का भी निर्णय लिया है। बोर्ड ने उक्त डेवलपर द्वारा किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

एजेंडा मद सं. 9: मैसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड का 'अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए सुलभ प्रयोग, फर्नीज्ड प्लग प्ले सुविधा' के प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिए किया गया अनुरोध।

यह सूचित किया गया कि 'अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए सुलभ प्रयोग, फर्नीज्ड प्लग प्ले सुविधा' की शर्त का दायरा स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है जिसे आर.आर. शाह, सदस्य सचिव, नीति आयोग की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर ईजीओएम के विदेशों के अनुसार अधिरोपित किया गया था, 'अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए सुलभ प्रयोग, फर्नीज्ड प्लग प्ले सुविधा', से संबंधित शर्त का दायरा स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इस

संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श लिया जाए तथा उसके आधार पर वाणिज्य विभाग इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

एजेंडा मद सं. 10: मैसर्स मुथूट होटल्स एंड टूरिज्म वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट एसईजेड स्कीम के तहत कोच्चि एसईजेड में सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए समय-सीमा को 31.12.2006 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध।

विकास आयुक्त कोच्चि सेज ने यह सूचित किया कि कार्य पूरा होने के करीब है और आवंटन भी शुरू कर दिए गए हैं। बोर्ड ने कोच्चि सेज में सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए समय-सीमा को 31.12.2006 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

II अनुपूरक एजेंडा (20.10.2006 को जारी)

एजेंडा मद सं. 1: महाराष्ट्र में विकासपरक अधिकार/भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दा

बोर्ड को यह सूचित किया गया था कि महाराष्ट्र सरकार से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें विशेष रूप से अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशेष एसईजेड के लिए कोई सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा जिसमें जिसमें आईटी समर्थित सेवाएं भी शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया था कि यदि आवेदक के पास जमीन का कब्जा है और उसके पास उक्त भूमि के लिए विकासपरक अधिकार, पट्टा अधिकार, बिक्री समझौता का अधिकार है, तो उसे औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाए। आगे यह भी नोट किया गया था कि एसईजेड के रूप में अधिसूचना के लिए डेवलपर को 20 वर्ष से अधिक समय की वैधता के साथ स्वामित्व के अधिकार या पट्टा अधिकार का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

एजेंडा मद सं. 2: एसईजेड में व्यापारिक इकाइयों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्देश

बोर्ड ने यह नोट किया कि दिनांक 10 अगस्त, 2006 के विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियमावली, 2006 को जारी करने के पश्चात अब एसईजेड इकाइयों को व्यापारिक कार्यकलापों के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में कोई समस्या नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग व्यापारिक कार्यकलापों के लिए नई अनुमतियों को रोक कर पूर्व में जारी किए गए अपने निर्देशों को तदनुसार संशोधन कर सकता है।

एजेंडा मद सं. 3: मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम का सिनचोली, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र में वस्त्र एसईजेड के क्षेत्र में संशोधन करते हुए उसे 195 हेक्टेयर से 103 हेक्टेयर करने के संबंध में अनुरोध।

बोर्ड ने क्षेत्र में कमी के अनुरोध को मंजूरी दी।

श्री गोपाल के. पिल्लै, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्तूबर, 2006 को कमरा सं. 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित अनुमोदन बोर्ड की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त

एजेंडा मद सं. 4: मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का क्षेत्र को बदलकर "औद्योगिक मशीनरी और सहायक उपकरण" से "अभियांत्रिकी उत्पाद" करने तथा क्षेत्रफल का विस्तार करते हुए उसे 127 हेक्टेयर से 230 हेक्टेयर क्षेत्र करने संबंधी अनुरोध :

बोर्ड ने विचार के बाद प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला किया।

एजेंडा मद सं. 5 से 7: अनुमोदन के लिए अनुरोध

इन एजेंडा मदों पर किए गए निर्णय उपर्युक्त क और ख में एसईजेड अनुमोदनों के लिए बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किए गए हैं।

एजेंडा मद सं. 8: मैसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड का नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध।

बोर्ड ने यह नोट किया कि अनुमोदित फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र विशिष्ट एसईडब्ल्यूजेड के लिए संपूर्ण भूमि को एसपीवी मेसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड के नाम में स्थानांतरित किया गया है जहां डेवलपर मैसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड के पास 50% से अधिक इक्विटी है। बोर्ड ने एसपीवी मेसर्स हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड के नाम में हस्तांतरण को अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

एजेंडा मद सं. 9: एसोटेक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का एसपीवी के नाम में अनुमोदन के हस्तांतरण और प्रस्तावित क्षेत्र के विस्तार के संबंध में अनुरोध :

बोर्ड ने यह नोट किया कि अनुमोदित आईटी/आईटीईएस क्षेत्र विशिष्ट एसईडब्ल्यूजेड के लिए संपूर्ण भूमि एसपीवी मेसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम में स्थानांतरित कर दी गई है। यह नोट किया गया कि इस एसपीपी के जरिए एसईजेड के विकास का मूल आवेदन में भी उल्लिखित किया गया था। बोर्ड ने मेसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम में अनुमोदन के हस्तांतरण को अनुमति प्रदान की। बोर्ड ने क्षेत्र का 10.62 हेक्टेयर से 16.19 हेक्टेयर तक विस्तार करने संबंधी उनके अनुरोध को भी अनुमोदन प्रदान किया।

एजेंडा मद सं. 10: मैसर्स दीवान इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम में परिवर्तन का तथा महाराष्ट्र सरकार से सहमति प्राप्त करने के लिए समय-सीमा विस्तार करने हेतु अनुरोध:

बोर्ड ने मैसर्स दीवान इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स प्रिविलेज पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने संबंधी मामले को नोट किया तथा तदनुसार अनुमोदन पत्र में नाम

में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की। बोर्ड ने उन्हें महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए तीन माह के अतिरिक्त समय की भी अनुमति प्रदान की।

एजेंडा मद सं. 11 से 13: अनुमोदनों के लिए अनुरोध:

इन एजेंडा मदों पर लिए गए निर्णय उपर्युक्त ख में यथा उल्लिखित एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु बोर्ड की सिफारिशों में शामिल किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

****